प्रार्थी अंकित करने का निवेदन किया है। वकील
प्रार्थी के प्रा०पत्र 06 R 17 CPC पर वकील
प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी
गई। न्यायहित मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र
06 R 17 CPC को स्वीकार किया जाकर
प्रार्थना पत्र के मद न. 4 व 10 मे अंकित
अप्रार्थी के स्थान पर लाल स्याही से
प्रार्थी अंकित किया गया। एवं प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
212 RT Act पर वकील प्रार्थी व पैरोकार
सरकार की बहस सुनी गई अप्रार्थी न. 1
के विरूद्ध दिनांक 12/11/18 को एक पक्षीय
कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है।
पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RT Act दिनांक
27/1/20 को पेश हो। Varsha

27/1/2020 - पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील
प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण
मे पूर्व मे बहस सुनी जा चुकी है। बाद
बहस पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत
दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे
प्रथम दृष्टया ~~केस~~ अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर
पर प्रार्थी का केस पाया जाता है तथा उक्त
कारण से ही सुविधा का सन्तुलन एवं
अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष
मे पाये जाते है। ऐसी स्थिति में पूर्व मे पारित
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08/10/2018
को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है
कि वह विवादित आराजी ख०न०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5610, 5663 व 5611 कुल किता 3 कुल रकबा 1.58 हे० वाके मौजा सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर को रहन बैयनामा व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे की पत्रावली के साथ शामिल रहे। Varsha सहायक कलेक्टर मु० सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2020.02.18 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: